न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 91/2020

राजेन्द्र पुत्र गुमानाराम, जाति माली, निवासी भड़ौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार झुंझुनं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10.2018 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजेन्द्र मु0न0 97/2018 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित:–

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 25.10.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारो सहित पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया है, बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही में अमल लाई गई है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि निर्णय पारित करने से पुर्व पीड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट ने अपने मकानो में बिजली, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 70–80 वर्षो से पक्के मकान बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दु पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर विश्वास करके निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह काफी वर्षो से रह रहा है अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 25.10.2018 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट

सुनवाई का साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया है, बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही में अमल लाई गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट ने अपने मकानो में बिजली, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 70–80 वर्षो से पक्के मकान बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है जिसमे बिजली–पानी के कनेक्शन है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर विश्वास करके निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह काफी वर्षो से रह रहा है अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 25.10.2018 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट बहस के दौरान उपस्थित नही। अतः प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम भडौन्दा खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 1150, 1208, 1220 कुल रकबा 4.80, 0.90, 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नदी में से 0.05, 0.05, 0. .. हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। रिकार्ड अदालत मातहत के अवलोकन से अपीलान्ट का तर्क सही प्रतीत होता है क्योंकि अदालत मातहत की पत्रावली में न तो अपीलान्ट को जारी नोटिस उपलब्ध है ओर न ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके की अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को हुई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये 90 दिवस में प्रकरण का विधिसम्मत् निस्तारण करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/03/21

(उमरदीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:29 IST
Reason: SelfAttested